

॥ कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवपुरी म०प्र० ॥

॥ आदेश ॥

क्रमांक : 212/दो-11-01/07

शिवपुरी,दिनांक:- 10/06/2021

श्रीमती जयमाला राठौर, सहायक ग्रेड-2 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस. सी.एस.टी. एक्ट शिवपुरी को म.प्र. शासन वित्त विभाग बल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-1/2015/नियम/चार दिनांक 22.08.2015 के पालन में म०प्र० सिविल सेवा (अवकाश) नियम-1977 के नियम-38 (सी) के अंतर्गत, दिनांक 08.03.2021 से दिनांक 23.03.2021 तक कुल 16 दिवस का संतान पालन अवकाश **(Child Care Leave)** स्वीकृत किया जाता है।

संतान पालन अवकाश अवधि में श्रीमती जयमाला राठौर को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

अवकाश काल में इनका पद रिक्त रहा।

सही/-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी म०प्र०।

पृष्ठां.क्रमांक ^{B/1680} /दो-11-01/07

शिवपुरी,दिनांक:-.../06/2021

प्रतिलिपि यथानिर्देशित :-

1. न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट शिवपुरी।
2. श्रीमती जयमाला राठौर, सहायक ग्रेड-2 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस. टी. एक्ट शिवपुरी।
3. लेखापाल, लेखा अनुभाग जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शिवपुरी,म.प्र.।